



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122023-250841
CG-DL-E-23122023-250841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5178]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2023/अग्रहायण 30, 1945

No. 5178]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2023/AGRAHAYANA 30, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5408(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (अiii) और खंड (अiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'वन्य जीव (संरक्षण) नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, 2023' है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "परिशिष्ट" से अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 के अधीन विनिर्दिष्ट परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में हैं।

3. नमूनों के व्यापार के लिए आवेदन—(1) किन्हीं प्रजातियों के नमूनों के व्यापार में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, व्यापार की अनुज्ञा या प्रमाणपत्र के लिए, प्रबंधन प्राधिकारी को प्ररूप-1 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ, प्रबंधन प्राधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से संदेय एक हजार रुपए की फीस संलग्न होगी।

4. नमूनों के निर्यात की प्रक्रिया—(1) किन्हीं प्रजातियों के नमूनों के निर्यात के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, निम्नलिखित संलग्न होगा,--

(क) क्षेत्र के ऊपर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक की पंक्ति से अन्यून वन विभाग के अधिकारी द्वारा प्ररूप 2 में जारी किया गया विधिक उपापन प्रमाणपत्र;

(ख) धारा 49ड के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति की प्रति ;

(ग) अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति की प्रति;

(घ) परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध प्रजातियों के अनुसूचित नमूनों के बंधुवा प्रजनन या कृत्रिम प्रवर्धन के लिए सीआईटीईएस सचिवालय द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ;

(ङ) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूने की दशा में गंतव्य देश के प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त की गई आयात अनुज्ञा।

(2) प्रबंधन प्राधिकारी, नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूने की दशा में सलाह के लिए वैज्ञानिक प्राधिकरण को आवेदन अग्रेषित करेगा, जहां इस प्रभाव के गैर अपायकर निष्कर्ष अध्ययन नहीं किये गये हों कि निर्यात उन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए अपायकर नहीं होगा।

(3) वैज्ञानिक प्राधिकरण, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तीस दिवस की अवधि के भीतर, प्रबंधन प्राधिकारी को अपनी सलाह अग्रेषित करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि निर्यात उन प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अपायकर नहीं होगा।

(4) प्रबंधन प्राधिकारी, अनुसूची 4 के परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों की दशा में, नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर, या उपनियम (3) के अधीन वैज्ञानिक प्राधिकरण की सलाह प्राप्त होने के पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि,--

(क) आवेदन के साथ नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अध्यापेक्षित दस्तावेज और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न हो ;

(ख) अभिसमयों के संकल्पों का अनुपालन किया गया हो ; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया हो।

(5) प्रबंधन प्राधिकारी, उपनियम (4) के अधीन समाधान हो जाने पर भारत से भिन्न देशों द्वारा अभिसमय के परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों की दशा में प्ररूप 3 में निर्यात अनुज्ञा या उद्भव प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा :

परंतु प्रजातियों के नमूनों की बाबत निर्यात अनुज्ञा या उद्भव प्रमाण पत्र, उस देश को निर्यात के लिए अनुदत्त नहीं किया जाएगा, जिसने अभिसमय को अंगीकृत नहीं किया है।

(6) प्रजातियों के नमूनों के निर्यात के लिए प्रत्येक अनुज्ञा या उद्भव प्रमाण पत्र उसके जारी किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

5. नमूनों के आयात की प्रक्रिया—(1) किन्हीं प्रजातियों के नमूनों के निर्यात के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, निम्नलिखित संलग्न होगा,--

(क) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित की गई प्रजातियों के किन्हीं नमूनों की दशा में निर्यातक देश के संबद्ध प्रबंधन अधिकारी से निर्यात अनुज्ञा या पुननिर्यात प्रमाण पत्र ; और

(ख) प्ररूप 4 में विनिर्दिष्ट इस प्रभाव का वचनबंध कि प्रजातियों के ऐसे नमूनों के वाणिज्यिक प्रयोजनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) प्रबंधन प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों की दशा में, इस प्रभाव की सलाह के लिए वैज्ञानिक प्राधिकरण को आवेदन अग्रेषित करेगा कि आयात उन प्रजातियों की उत्तरजीवितता के लिए अपायकर नहीं होगा और जीवित नमूनों का प्रस्तावित प्राप्तिकर्ता उनके आश्रय और देखरेख के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित है।

(3) वैज्ञानिक प्राधिकरण, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तीस दिवस की अवधि के भीतर, प्रबंधन प्राधिकारी को अपनी सलाह अग्रेषित करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि निर्यात उन प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अपायकर नहीं होगा और जीवित नमूनों का प्रस्तावित प्राप्तिकर्ता उनके आश्रय और देखरेख के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित है।

(4) प्रबंधन प्राधिकारी, उपनियम (3) के अधीन वैज्ञानिक प्राधिकरण की सलाह प्राप्त होने के पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों पर विचार करने के पश्चात् प्ररूप 3 में आयात अनुज्ञा अनुदत्त करेगा, अर्थात् :-

(क) आवेदन के साथ नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अध्यापेक्षित दस्तावेज और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न हो ;

(ख) अभिसमयों के संकल्पों का अनुपालन किया गया हो ; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया हो।

(5) प्रजातियों के नमूनों के आयात के लिए प्रत्येक अनुज्ञा उसके जारी किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

6. नमूनों के पुनर्निर्यात के लिए प्रक्रिया—(1) किन्हीं प्रजातियों के नमूनों के निर्यात के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, निम्नलिखित संलग्न होगा,--

(क) क्षेत्र के ऊपर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक की पंक्ति से अन्यून वन विभाग के अधिकारी द्वारा और जब्त नमूनों की दशा में विभाग के उप वन संरक्षक की पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी द्वारा प्ररूप 2 में जारी किया गया विधिक उपापन प्रमाणपत्र ;

(ख) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों की दशा में, नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन प्रदान की गई आयात अनुज्ञा।

(2) प्रबंधन प्राधिकारी, नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को प्ररूप 3 में पुनःआयात अनुज्ञा अनुदत्त करेगा, यदि,--

(क) यदि आवेदन के साथ,--

(i) नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अध्यापेक्षित दस्तावेज और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस;

(ii) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध की गई प्रजातियों के नमूनों की दशा में गंतव्य देश के प्रबंधन अधिकारी द्वारा अनुदत्त की गई आयात अनुज्ञा,

संलग्न हो ;

(ख) अभिसमयों के संकल्पों का अनुपालन किया गया हो ; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया हो।

(3) प्रजातियों के नमूनों के पुनःनिर्यात के लिए प्रत्येक अनुज्ञा उसके जारी किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

7. समुद्र से प्रजातियों के किन्हीं नमूनों के प्रवेश की प्रक्रिया--(1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित की गई प्रजातियों के किन्हीं नमूनों के भारत में प्रवेश के आशय से, ऐसा करने की अनुज्ञा के लिए, प्रबंधन प्राधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) समुद्र से प्रजातियों के किन्हीं नमूनों के प्रवेश की प्रक्रिया के किसी आवेदन के साथ प्ररूप 4 में इस प्रभाव का वचनबंध संलग्न होगा कि प्रजातियों के ऐसे नमूनों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) प्रबंधन प्राधिकारी, प्ररूप 1 में आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर इस प्रभाव की सलाह के लिए वैज्ञानिक प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा, कि समुद्र से प्रवेश, उन प्रजातियों की उत्तरजीवीता के लिए अपायकर नहीं होगा।

(4) वैज्ञानिक प्राधिकरण, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने से तीस दिवस की अवधि के भीतर, प्रबंधन प्राधिकारी को अपनी सलाह, यदि उसका समाधान हो जाता है, अग्रेषित करेगा।

(5) प्रबंधन प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों पर विचार करने के पश्चात् प्ररूप 3 में समुद्र से प्रवेश का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, अर्थात् :--

(क) आवेदन के साथ नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अध्यापेक्षित दस्तावेज और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न हो ;

(ख) अभिसमयों के संकल्पों का अनुपालन किया गया हो; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया हो।

(6) समुद्र से प्रजातियों के किन्हीं नमूनों के प्रवेश का प्रमाण पत्र उसके जारी किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

8. अनुसूचित नमूनों के ब्यौरे और उसके संव्यवहार की रिपोर्टिंग--अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों के कारबार में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रबंधन प्राधिकारी को ऐसे कारबार के तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप 5 में अनुसूचित नमूनों और व्यापार के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा।

9. कतिपय प्रजातियों के संबंध में विशेष उपबंध--(1) "लॉग, स्वानवुड और विनरशीट" टिप्पण के साथ लकड़ी की प्रजातियों के नमूनों के निर्यात या पुनःनिर्यात की दशा में विधिमान्य अनुज्ञा को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, यदि लदान अनुज्ञा की समाप्ति की तारीख से पहले अंतिम गंतव्य पत्तन पर पहुंच गया है और सीमा-शुल्क बंधपत्र में धारित किया जा रहा है।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता हेतु विस्तार की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति प्ररूप 6 में प्रबंधन प्राधिकारी को, पांच सौ रुपए की फीस सहित, आवेदन करेगा।

(3) प्रबंधन प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्ररूप 7 में छह मास की अतिरिक्त अवधि की विधिमान्यता का विस्तार कर सकेगा, यदि कोई पूर्व में कोई विस्तार नहीं किया गया है।

10. अनुज्ञापत्र /प्रमाणपत्र का रद्द करना- (1) प्रबंधन प्राधिकारी किसी अनुज्ञापत्र या प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि,-

(क) अनुसूची 4 के परिशिष्ट -1 में सूचीबद्ध प्रजातियों की दशा में, संबद्ध नमूने का प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है या किसी जीवित नमूने के प्रस्तावित प्राप्तिकर्ता के लिए उपयुक्त रूप से रखने और देखरेख करने हेतु गृह नहीं हैं;

(ख) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किन्हीं प्रजातियों के जीवित नमूनों को इस प्रकार नहीं संभाला गया है कि क्षति के जोखिम, स्वास्थ्य को नुकसान या क्रूर उपचार होना न्यूनतम किया जा सके;

(ग) कोई मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गई है;

(घ) अभिसमयों के संकल्पों की अनुपालना नहीं की गई है; या

(ङ.) अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है:

परंतु कोई अनुज्ञापत्र या प्रमाण पत्र आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

[नियम 3(1) देखें]

अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों के संबंध व्यापार हेतु आवेदन					
साधारण जानकारी (सभी मामलों के लिए अनिवार्य):					
1.	(क) आवेदक का नाम				
	(ख) आवेदक का आधार संख्यांक				
	(ग) आयात निर्यात कोड (आईईसी)				
2.	आवेदक का स्थायी पता				
3.	आवेदक का वर्तमान पता				
4.	आवेदन का प्रयोजन (आयात/निर्यात/पुनर्निर्यात/ समुद्र से प्रवेश- कृपया सही का चिन्ह लगाएं, जो लागू हो)				
5.	नमूने का स्रोत				
6.	निर्यात/आयात/पुनर्निर्यात/समुद्र से प्रवेश का प्रयोजन				
7.	संदत्त फीस के ब्यौरे				
	(क) संव्यवहार संख्यांक/डीडी संख्यांक				
	(ख) संदत्त रकम				
8.	नमूने के ब्यौरे				
सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	नमूनों की संख्या/मात्रा	आयु/ पौध/वृक्ष/ लिंग	लिंग	आईटीसीएसएसकोड
निर्यात/पुनर्निर्यात मामलों हेतु					
9.	परेषिति का नाम				
10.	परेषिती का पता				
11.	जीवित पशुओं की दशा में अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति संख्या, यदि कोई हो (अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न की जाए)				
12.	विधिक उपापन प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, संख्यांक, तारीख और स्थान				
13.	क्या अनुज्ञप्ति विनिर्दिष्ट पादपों की दशा में अधिनियम के अध्याय 3ख के अधीन मुख्य जीव वार्डन द्वारा जारी की गई है		हां/नहीं		
14.	यदि आयात की गई हैं, तो आयात की तारीख, आयात का पत्तन और बीजक				

	संख्यांक तथा तारीख और सीआईटीईएस द्वारा प्रतिषिद्ध सूचीबद्ध चीजों की दशा में, डीजीएफटी द्वारा जारी आयात अनुज्ञापत्र संख्यांक, तारीख और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयात करने का अनुमति पत्र,	
15.	सीआईटीईएस एमए भारत आयात अनुज्ञापत्र संख्यांक और तारीख (परिशिष्ट 1 में अधिसूचित नमूने के पुनर्निर्यात की दशा में)	
16.	परिशिष्ट 1 में अधिसूचित नमूने के निर्यात की दशा में, आयात करने वाले देश के प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा जारी अग्रिम सीआईटीईएस आयात अनुज्ञा संख्यांक और तारीख,	
17.	परिशिष्ट 1 नमूने की दशा में आयात करने वाले देश के प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा जारी आयात अनुज्ञा संख्यांक और तारीख	
18.	निकास का पत्तन	
19.	निकास के ब्यौरे	
आयात/समुद्र से प्रवेश संबंधी मामलों हेतु		
20.	परेषक का नाम	
21.	परेषक का पता	
22.	देश जिसमें नमूने वन्य / ब्रेड इन कैप्टिविटी / कृत्रिम रूप से प्रसारित कर उपाप्त किए थे	
23.	प्रवेश का पत्तन	
24.	कोई अन्य ब्यौरे	

वचनबंध

मैं -----(आवेदक का नाम) पुत्र या पुत्री या पत्नी -----(पिता का नाम या पति का नाम) घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तुत ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं और उपरोक्त प्रस्तुत कोई ब्यौरा यदि मिथ्या पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त करने हेतु दायी होगा।

मैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार नमूना नियम, 2023 के विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों और कोई अन्य ऐसी शर्त जो मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अधिरोपित की जाए, का पालन करूंगा।

हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

आवेदक का नाम

आवेदक का वर्तमान पता

संलग्नकों की सूची:

1. आवेदक का आधार कार्ड या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ सोसाइटी /कंपनी/बोर्ड आदि की दशा में निगमन प्रमाण पत्र की प्रति।
2. आवेदक के पते का सबूत।

3. परिशिष्ट 1 प्रजातियों के निर्यात की दशा में संबद्ध सीआईटीईएस प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा जारी अग्रिम आयात अनुज्ञापत्र की प्रति ।
4. परिशिष्ट 1 प्रजातियों की दशा में सीआईटीईएस प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा जारी । आयात अनुज्ञापत्र /पुनर्निर्यात की दशा में डीजीएफटी द्वारा जारी आयात अनुज्ञप्ति की प्रति ।
5. निर्यात की दशा में संबद्ध वन विभाग द्वारा जारी विधिक उपापन प्रमाण पत्र की प्रति ।
6. मुख्य वन्य जीव वार्डन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति ।

प्ररूप-II

[नियम 4 (1) (ख) और नियम 6 (1) (क) देखें]

विधिक उपापन प्रमाणपत्र

(जीवजन्तु/वनस्पति/व्युत्पन्न)

(अहस्तांतरणीय)

बार कोड/सुरक्षा स्टॉप

तारीख

प्रमाणपत्र सं.

तक वैध

1. यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी (डाक का पता) अनुज्ञप्ति सं. धारक (यदि लागू हो).....निर्यात के लिए जातियों के नमूने जैसा कि नीचे दिया गया है, के पक्ष में जारी किया जाता है ।
2. मैं प्रमाणित करता हूं कि नीचे दी गई सारणी में वर्णित अनुसूची 4 में सूचीबद्ध जातियों के नमूने इस अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है और इसे निर्यात/पुनःनिर्यात के लिए सिफारिश की जाती है ।
3. जातियों के नमूने का व्यौरा:

क्र.सं.	मद का विवरण	जातियों का वैज्ञानिक नाम	सामान्य/स्थानीय नाम	परिमाण (सं./भार)	टिप्पणियां यदि कोई हों
1	2	3	4	5	6

पदधारी के हस्ताक्षर और पदनाम
(उप वन संरक्षक के श्रेणी से नीचे का न हो)

प्ररूप-III

[नियम 4 (3), नियम 5(3), नियम 6(2) और नियम 7 (5) देखें]

सीआईटीईएस परमिट/प्रमाणपत्र	1.परमिट/प्रमाणपत्र सं.	मूल
	<input type="checkbox"/> निर्यात <input type="checkbox"/> पुनः निर्यात <input type="checkbox"/> आयात <input type="checkbox"/> समुद्र से परिचालन करना <input type="checkbox"/> मूल का प्रमाणपत्र	तक वैध

3. आयातक (नाम और पता)		4. निर्यातक/पुनःनिर्यातक (नाम, पता और देश)	 आवेदक के हस्ताक्षर			
5. नमूने की शर्तें यदि जीवित जानवरों के लिए, यह परमिट या प्रमाणपत्र केवल तभी मान्य है यदि परिवहन की शर्तों आईएटीए जीवित जीवजंतु के विनियमों का अनुपालन करती है ; यदि जीवित पौधों के लिए, आईएटीए विनश्वर कार्गो विनियम के साथ ; या गैर-हवाई परिवहन के मामले में, जीवित जंगली जानवरों और पौधों के गैर-हवाई परिवहन के लिए सीआईटीईएस दिशा निर्देशों के साथ।		6. प्रबंध प्राधिकरण का नाम, पता, राष्ट्रीय मुहर/स्टांप और देश					
5क. संव्यवहार का प्रयोजन		5ख. सुरक्षा स्टॉप सं.					
7./8. वैज्ञानिक नाम (वंश और जाति) और जीवजंतु तथा पौधों का सामान्य नाम		9. पहचान चिन्ह या संख्या सहित, नमूने का विवरण (आयु/लिंग, यदि जीवित है)		10. परिशिष्ट सं. और स्रोत		11. परिमाण (इकाई सहित)	11क. कुल निर्यात/कोटा
क	7./8.	9		10	11		11क
	12. उद्गम देश	परमिट सं.	तारीख	12क. अंतिम पुनःनिर्यात का देश	प्रमाणपत्र सं.	तारीख	12ख. प्रचालन की सं. ** या अर्जन की तारीख ***
ख	7./8.	9		10	11		11क.
	12. उद्गम देश	परमिट सं.	तारीख	12क. अंतिम पुनःनिर्यात का देश	प्रमाणपत्र सं.	तारीख	12ख. प्रचालन की सं. ** या अर्जन की तारीख***
ग	7./8.	9		10	11		11क.
	12. उद्गम देश	परमिट सं.	तारीख	12क. अंतिम निर्यात का देश	प्रमाणपत्र सं.	तारीख	12ख. प्रचालन की सं. **

							या अर्जन की तारीख***
	7./8.	9		10	11		11क.
घ	7./8. उद्गम देश	परमिट सं.	तारीख	12क. अंतिम पुनःनिर्यात का देश	प्रमाणपत्र सं.	तारीख	12ख. प्रचालन की सं. ** या अर्जन की तारीख***
* देश जिसमें कैद या बनावटी प्रचार में वन्य, नस्ल से लिए गए नमूने (केवल पुनःनिर्यात के मामले में)							
** परिशिष्ट I केवल व्यापारिक प्रयोजनों के लिए कैद या बनावटी प्रचार में जाति/नस्ल के नमूने							
*** पूर्व-अभिसमय नमूनों के लिए							
13. यह परमिट/प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा जारी किया गया है							
पता		तारीख		सुरक्षा स्टॉप/ बार कोड		हस्ताक्षर और पदधारी मुहर	
14. निर्यात पृष्ठांकन				15. लदान बिल/वायु मार्ग बिल सं.			
ब्लॉक	परिमाण						
क							
ख							
ग							
घ							
		निर्यात का पत्तन		तारीख		हस्ताक्षर, पदधारी का स्टॉप और पदनाम	

सीआईटीईएस परमिट/प्रमाणपत्र सं.

अनुदेश और स्पष्टीकरण

(ये प्ररूप पर ब्लॉक संख्याओं के अनुरूप हैं)

1. उस वर्ग पर निशान लगाएं जो जारी किए गए दस्तावेज के प्रभार के अनुरूप हैं (निर्यात परमिट, पुनःनिर्यात प्रमाणपत्र, आयात परमिट समुद्र से परिचय का प्रमाणपत्र या उत्पत्ति प्रमाणपत्र) मूल संख्या प्रबंध प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक दस्तावेज को आवंटित विशिष्ट संख्या है।
2. निर्यात परमिट और पुनःनिर्यात प्रमाणपत्र के लिए, प्रमाणपत्र के समाप्ति की तारीख जारी करने की तारीख के पश्चात् छह माह से अधिक की नहीं हो सकेगी (आयात परमिट से एक वर्ष)।
3. आयातक का पूरा नाम और पता।
- 3क. देश का पूरा नाम लिखना होगा।
4. निर्यातक/पुनःनिर्यातक का पूरा नाम और पता। देश का पूरा नाम अवश्य बताना चाहिए। आवेदक के हस्ताक्षर के अभाव में परमिट या प्रमाणपत्र अमान्य होगा।
5. विशेष शर्तें राष्ट्रीय विधान को संदर्भित हो सकेंगी या प्रबंध प्राधिकरण द्वारा लदाई पर विशेष शर्तें लगाई जाएंगी। यह ब्लॉक कतिपय सूचना के लोप को न्यायोचित ठहराने के लिए भी उपयोग की जा सकेंगे।
- 5क. निम्नलिखित कोड उपयोग किए जाने चाहिए : वाणिज्य के लिए टी, चिडियाघर के लिए जेड, वनस्पति उद्यान के लिए जी, सर्कस या यात्रा प्रदर्शनी के लिए क्यू, वैज्ञानिक के लिए एस, शिकार ट्राफी के लिए एच, व्यक्तिगत के लिए पी, चिकित्सा के लिए एम, शिक्षा के लिए ई, वन में प्रवेश या पुनःप्रवेश के लिए एन, बंदी या कृत्रिम प्रसार के लिए बी और प्रवर्तन/न्यायिक/न्यायसंबंधी के लिए एल।

5ख. ब्लाक 13 में चिपकाए गए सुरक्षा स्टॉप की संख्या दिखाना ।

6. जारी करने वाले प्रबंध प्राधिकरण का नाम, पता और देश पहले से ही प्ररूप पर मुद्रित होना चाहिए ।

7-8. जीवजंतु या पौधों का वैज्ञानिक नाम (वंश और जाति, जहां समुचित उप जाति हो) इंगित करें, जैसा कि यह अभिसमय परिशिष्टों या पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अनुमोदित संदर्भ सूचियों में दिखाई देता है ; और जीवजंतु या पौधों का सामान्य नाम जैसा कि परमिट जारी करने वाले देश में जाना जाता है ।

9. व्यापार में आने वाले नमूनों (जीवित जीवजंतु, खाल, बाजू, बटुआ, जूते आदि) का यथासंभव सटीक वर्णन करें । यदि नमूने को चिन्हित किया गया है (टैग, पहचान चिन्ह, छल्ला, आदि), चाहे यह पार्टियों के सम्मेलन के संकल्प द्वारा अपेक्षित हो या नहीं (खेती संचालन में उत्पन्न होने वाले नमूने, पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा अनुमोदित कोटा के अधीन रहते हुए नमूने, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कैद में जाति ब्रिड परिशिष्ट-1 के नमूने, आदि), चिन्हों की संख्या और प्रकार को दर्शित करें । यदि संभव हो तो जीवित जीवजंतु का लिंग और आयु अभिलिखित करना चाहिए ।

10. अभिसमय (I, II या III) के परिशिष्ट की संख्या लिखनी चाहिए जिसमें जाति सूचीबद्ध है ।

स्रोत को दर्शित करने के लिए निम्नलिखित कोड का उपयोग करना चाहिए । जीव से लिए गए नमूनों के लिए डब्ल्यू "समुद्री पर्यावरण जो किसी राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आता है" में लिए गए नमूने के लिए एक्स ।

आर खेती के नमूने : नियंत्रित पर्यावरण में पाले गए जीवजंतुओं के नमूने, जंगल से अंडों या किशोर के रूप में लिया जाता है, जहां उनके वयस्क होने तक जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है ।

डी परिशिष्ट-1 संकल्प कन्फ्रेंस के अनुसार सचिवालय के रजिस्टर में प्रचालन को शामिल करने के वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कैद में पाले गए जीवजंतु, और अभिसमय के पैरा 4 के अनुच्छेद VII के उपबंधों के अधीन निर्यात किए गए परिशिष्ट I वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृत्रिम रूप से प्रचारित पौधे, साथ ही उनके भाग और व्युत्पन्न,

ए पौधे जो संकल्प कान्फ्रेंस 11.11 (आरईवी. सीओपी 18) के अनुसरण में कृत्रिम रूप से प्रचारित हैं, साथ ही अनुच्छेद का पैरा 5 के उपबंधों के अधीन निर्यात किए गए हैं, उनके भाग और व्युत्पन्न (परिशिष्ट I के अंतर्गत जाति के नमूने जो गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृत्रिम रूप से प्रचारित किए गए हैं और परिशिष्ट II एवं III के अंतर्गत जातियों के नमूने)

ग संकल्प सम्मे. 10.16 (रेव.), के अनुसार बंधक में रखे गए जानवरों का प्रजनन को उसके भागों और व्युत्पन्नो के साथ अनुच्छेद 6 पैरा 5 के उपबंधों अधीन निर्यात किए गए

च बंधक में पैदा हुए जानवर (एफ1 या बाद की पीढ़ियाँ) को उसके भागों और व्युत्पन्नो के साथ जो संकल्प सम्मे. 10.16 (रेव.), 'बंधक में पैदा हुआ' की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं

म पौधों के नमूने जो उसके भागों और व्युत्पन्न के साथ संकल्प सम्मे. 11.11 (रेव. सीओपी18) में और 'सहायक उत्पादन' की परिभाषा को पूरा करते हैं

प स्रोत अज्ञात (उचित होना चाहिए)

झ नमूनों को अधिहरण कर लिया या जब्त कर लिया

ण प्री-कन्वेंशन नमूने (अन्य स्रोत कोड के साथ उपयोग किए जा सकते हैं)।

11. संकेतित मात्रा और इकाइयां कन्वेंशन द्वारा जारी सीआईटीईएस की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सबसे अधिक सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

11क. वर्तमान वर्ष में निर्यात किए गए नमूनों की कुल संख्या (वर्तमान परमिट द्वारा कवर किए गए) और संबध प्रजातियों (उदाहरण के लिए 500/1000) के लिए वर्तमान वार्षिक कोटा को दर्शित करें। यह राष्ट्रीय कोटा के लिए किया जाना चाहिए जैसा कि हमने पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अवधारित किया है।

12. मूल देश वह देश है जहां नमूनों को वन्य,बंधक में रखा गया था या कृत्रिम रूप से प्रचारित किया गया था, पौधे के नमूने के मामले के सिवाय सीआईटीईएस के उपबंधों से छूट के लिए पात्र हैं। ऐसे मामलों में उत्पत्ति उस देश को माना जाता है जिसमें नमूनों को छूट मिलना बंद हो गया है। जारी करने की निर्यात तारीख के परमिट या प्रमाण पत्र की संख्या दर्शित करें। यदि संपूर्ण या आंशिक जानकारी ज्ञात नहीं है, तो इसे 5 ब्लॉक में उचित ठहराया जाना चाहिए। यह ब्लॉक केवल पुनः निर्यात के मामले में ही पूरा किया जाना चाहिए;

- 12क. अंतिम पुनः निर्यात का देश वह देश है जहां से नमूने उस देश में प्रवेश करने से पहले पुनः निर्यात किए गए थे जहां वर्तमान दस्तावेज़ जारी किया गया है। पिछले पुनः निर्यात के देश का पुनः निर्यात प्रमाणपत्र और उसके जारी होने की तारीख दर्ज करें। यदि संपूर्ण या आंशिक जानकारी ज्ञात नहीं है, इसे ब्लॉक 5 में उचित ठहराया जाना चाहिए। यह ब्लॉक पहले से निर्यात किए गए नमूनों के पुनः निर्यात के मामले में पूरा हुआ माना जा सकता है।
- 12ख. "प्रचालन की संख्या" रजिस्ट्रीकृत कैप्टिव-ब्रीडिंग प्रसार प्रचालन की संख्या है। "अधिग्रहण की तारीख" को संकल्प सम्मेलन (रेव.सीओपी16) में परिभाषित किया गया है और यह केवल प्री-कन्वेंशन नमूनों के लिए आवश्यक है।
13. परमिट जारी करने वाले अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना है। अधिकारी का पूरा नाम लिखा है। सुरक्षा स्टांप/बार कोड इस ब्लॉक में चिपकाया जाना चाहिए और जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और एक स्टांप या मुहर द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। सील, हस्ताक्षर और सुरक्षा स्टांप/बार कोड स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य होना चाहिए।
14. उस अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जो निर्यात या पुनः निर्यात के समय उस समय शिपमेंट का निरीक्षण करता है। वास्तव में निर्यात किए गए या पुनः निर्यात किए गए नमूनों की मात्रा दर्ज करें। अप्रयुक्त ब्लॉकों को बाहर करें।
15. यदि ऐसे दस्तावेज़ के उपयोग की आवश्यकता होती है, तो लदान बिल या हवाई मार्ग-बिल की संख्या दर्ज करें।

उपयोग के बाद यह दस्तावेज़ आयातक देश के प्रबंध प्राधिकारी एम को वापस करना होगा।

प्ररूप 4

[नियम 5(2) और नियम 7(2) देखें]

सेवा में

सीआईटीईएस प्रबंधन प्राधिकारी,

भारत

मैं.....[आवेदक का नाम] पुत्र या पुत्री या पत्नी [पिता या पति का नाम] घोषणा करता हूँ कि अनुसूची 4 की परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजाति के नमूने जिसका मैं आयात करने का आशय रखता हूँ उसका प्रारंभिक प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

मैं नमूना नियम, 2023 में अंतर-राष्ट्रीय व्यापार विनियम और मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करूंगा।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम:

आवेदक का वर्तमान पता:

प्ररूप 5

[नियम 8 देखें]

दिए गए नमूने और अंतरण के ब्यौरे की रिपोर्ट :

दिए गए नमूने और अंतरण के ब्यौरे की रिपोर्ट :						
1.	आवेदक का नाम					
2.	आवेदक का पता					
3.	नमूने के ब्यौरे					
सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	सीआईटीईएस परमिट संख्या	आयात	नमूने की संख्या	किशोर/वयस्क/नए पौध/वृक्ष	पुरुष/महिला

4.	व्यापार की प्रकृति			समुद्र से आयात/निर्यात/पुनःनिर्यात/भेजा जाना		
5.	नमूने का वर्णन					
सामान्य नाम	वैज्ञानिक संख्या	नाम	जीवित है या नहीं	नमूने की संख्या	लिंग	आयु
6.	किए गए व्यापार की मात्रा (नमूने की संख्या या किलोग्राम में मूल भार					
7.	सीआईटीईएस परमिट/प्रमाणपत्र संख्या और तारीख					
8.	डीजीएफटी आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख					
9.	पत्तन का निकास/प्रवेश					
10.	धारा 49ड और धारा 49ढ के अधीन आवेदन की तारीख और स्थान (यदि लागू हो)					
11.	कोई अन्य ब्यौरे					

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम:

आवेदक का वर्तमान पता:

प्ररूप 6

[नियम 9(2) देखें]

परमिट/प्रमाणपत्र संख्या की वैधता का विस्तार:					
1.	(क) आवेदक का नाम				
	(ख) आवेदक का आधार संख्यांक				
	(ग) आयात निर्यात कोड (आईईसी)				
2.	आवेदक का स्थायी पता				
3.	आवेदक का वर्तमान पता				
4.	सीआईटीईएस परमिट संख्या और जारी करने की तारीख				
5.	वह तारीख जब तक वैधता का विस्तार दिया गया है				
6.	नमूने के ब्यौरे जिसके लिए परमिट/प्रमाणपत्र के वैधता के विस्तार की मंजूरी दी गई है				
सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	नमूने की संख्या/मात्रा	आयु/नई पौध/वृक्ष	लिंग	आईटीसी एसएच कोड

घोषणा

मैं..... [आवेदक का नाम] पुत्र या पुत्री या पत्नी [पिता या पति का नाम] घोषणा करता हूँ कि क्रम सं0 6 में उल्लिखित जाति के नमूनों को परमिट/प्रमाणपत्र सं0.....तारीख..... के माध्यम से समुद्र में निर्यात/आयात/पुनःनिर्यात/भेजा नहीं गया है।

मैं नमूना नियम, 2023 में अंतर-राष्ट्रीय व्यापार विनियम और मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करूंगा।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम:

आवेदक का वर्तमान पता:

संलग्नक की सूची : परमिट / प्रमाण पत्र की प्रति

प्ररूप 7

[नियम 9(3) देखें]

परमिट/प्रमाणपत्र संख्या की वैधता का विस्तार:					
1.	(क) आवेदक का नाम				
	(ख) आवेदक का आधार संख्यांक				
	(ग) आयात निर्यात कोड (आईईसी)				
2.	आवेदक का स्थायी पता				
3.	आवेदक का वर्तमान पता				
4.	सीआईटीईएस परमिट संख्या और जारी करने की तारीख				
5.	वह तारीख जब तक वैधता का विस्तार दिया गया है				
6.	नमूने के ब्यौरे जिसके लिए परमिट/प्रमाणपत्र के वैधता के विस्तार की मंजूरी दी गई है				
सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	नमूने की संख्या/मात्रा	आयु/नई पौध/वृक्ष	लिंग	आईटीसी एसएच कोड

1. इस परमिट/प्रमाणपत्र सं.....तारीख..... के माध्यम से मंजूरी की वैधता का विस्तार केवल मूल परमिट / प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करने पर लागू होगा।
2. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के कोई भी गलत सूचना/अतिक्रमण इस परमिट/प्रमाणपत्र के द्वारा मंजूर किए गए विस्तार को अमान्य कर देगा।

3. परमिट/प्रमाणपत्र की वैधता में कोई और विस्तार नहीं मंजूर किया जाएगा।

परमिट/प्रमाणपत्र संख्या..... की वैधता का विस्तार द्वारा जारी किया जाता है:

स्थान

तारीख

सुरक्षा स्टांप, हस्ताक्षर और शासकीय मुहर

[फा. सं. डब्ल्यूएल-1/4/2023-डब्ल्यूएल]

बिभाष रंजन, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) और निदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2023

S.O. 5408(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (jiii) and (jiv) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to provide for international trade of specimens, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the ‘Wild Life (Protection) International Trade of Specimens Rules, 2023’
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette;
2. **Definition.**— In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) “Act” means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
(b) “Appendix” means Appendix specified under Schedule IV appended to the Act;
(c) “Form” means form annexed to these rules;
(2) The words and expressions used and not defined in these Rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Application for trade of specimens.**— (1) Every person engaging in trade of any specimen of species shall make an application electronically to the Management Authority in Form-I for permit or certificate for trade.
(2) Every application made under sub-rule (1) shall be accompanied with a fees of one thousand rupees paid through electronic mode to the Management Authority.
4. **Procedure of export of specimen.**— (1) Every application for export of any specimen of species shall be accompanied with-
(a) a legal procurement certificate issued by an officer of the Forest Department not below the rank of Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area in Form II;
(b) a copy of licence issued under section 49 N;
(c) a copy of the licence issued by the Chief Wild Life Warden under Chapter III A of the Act;
(d) a copy of the certificate of registration issued by CITES Secretariat for captive breeding or artificial propagation for Scheduled Specimen of species listed in Appendix I;

(e) an import permit granted by the Management Authority of the country of destination in case of specimen of species listed in Appendix I of Schedule IV.

(2) On receipt of the application under sub-rule (1) of rule 3, the Management Authority shall, within a period of fifteen days, forward the application to the Scientific Authority for advice in case of a specimen of a species listed in Appendices I or II of Schedule IV, where non-detriment finding studies have not been carried out, to the effect that the export will not be detrimental to the survival of that species.

(3) The Scientific Authority, upon receipt of such request, shall within a period of thirty days forward its advice to the Management Authority if it is satisfied that the export will not be detrimental to the survival of that species.

(4) The Management Authority, within a period of fifteen days on receipt of advice from the Scientific Authority under sub-rule (3) or within a period of fifteen days from the receipt of the application under sub-rule (1) of rule 3 in case of a specimen of a species listed in Appendix III of Schedule IV, consider the application and satisfy itself that, –

(a) the application is accompanied with requisite documents specified in sub-rule (1) and the fee specified in sub-rule (2) of Rule 3;

(b) the resolutions of the Convention are complied with; and

(c) the provisions of the Act and rules made thereunder have been complied with.

(5) The Management Authority on being satisfied under sub-rule (4) shall grant an export permit or certificate of origin in case the specimen of the species listed in Appendix III of the Convention by Countries other than India in Form III:

Provided that the export permit or certificate of origin in respect of a specimen of species shall not be granted for export to a country which has not adopted the convention.

(6) Every permit or certificate of origin for export of specimen of species shall be valid for a period of six months from the date of its issue.

5. Procedure of import of specimen.- (1) Every application for import of any specimen of species shall be accompanied with-

(a) an export permit or a re-export certificate from the Management Authority concerned, of the country of export in case of any specimen of a species included in Appendix I of Schedule IV; and

(b) an undertaking specified in Form IV to the effect that such specimen of a species shall not be considered for commercial purposes.

(2) On receipt of the application under sub-rule (1), the Management Authority shall, within a period of fifteen days, forward the application to the Scientific Authority for their advice in the case of a specimen of a species listed in Appendix I of Schedule IV to the effect that the import will not be detrimental to the survival of that species and the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it.

(3) The Scientific Authority, on receipt of such application shall, within a period of thirty days, forward its advice to the Management Authority if it is satisfied that the import will not be detrimental to the survival of that species and the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it.

(4) The Management Authority shall, within a period of fifteen days on receipt of advice from the Scientific Authority under sub-rule (3) grant an import permit in Form III, after considering the following conditions, namely:-

(a) the application is accompanied with requisite documents as per sub-rule (1) and the fee as per sub-rule (2) of Rule 3;

- (b) the resolutions of the Convention are complied with; and
- (c) the provisions of the Act and rules made thereunder have been duly complied with.

(5) Every permit for import of specimen of species shall be valid for a period of twelve months from the date of its issue.

6. Procedure of re-export of specimen.- (1) Every application for re-export of any specimen of species shall be accompanied with-

(a) a legal procurement certificate issued by an officer of the Forest Department not below the rank of Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area and in case of confiscated specimens by an officer of not below the rank of Deputy Conservator of Forests in the department in Form II;

(b) an import permit granted under sub-rule (4) of Rule 5 in the case of a specimen of a species listed in Appendix I of Schedule IV.

(2) The Management Authority shall, within a period of fifteen days from the receipt of the application specified in sub-rule (1) of rule 3, grant re-export certificate to the applicant in Form III, if –

- a. the application is accompanied with-
 - i. requisite documents as per sub-rule (1) and the fee as per sub-rule (2) of Rule 3
 - ii. an import permit granted by the Management Authority of the country of destination in case of specimen of species listed in Appendix I of Schedule IV

(b) the resolutions of the Convention are complied with; and

(c) the provisions of the Act and rules made thereunder have been duly complied with.

(3) Every permit for re-export of specimen of species shall be valid for a period of six months from the date of its issue.

7. Procedure for introduction from the sea of any specimen of species.- (1) Any person intending to introduce any specimen of species included in Appendix I of Schedule IV in India shall make an application electronically to the management Authority for permission to do so.

(2) Every application for introduction from the sea of any specimen of species shall be accompanied with an undertaking in Form IV to the effect that such specimen of a species shall not be used for commercial purposes.

(3) On receipt of the application in Form I, the Management Authority shall within a period of fifteen days, seek advice of Scientific Authority to the effect that the introduction from the sea will not be detrimental to the survival of the species.

(4) The Scientific Authority, on receipt of such request, shall within a period of thirty days, if it is satisfied forward its advice to the Management Authority.

(5) The Management Authority shall, within a period of fifteen days from the receipt of the application, grant certificate of introduction from the sea in Form III, after considering the following conditions, namely:-

(a) the application is accompanied with requisite documents as per sub-rule (1) and the fee under sub-rule (2) of Rule 3;

(b) the resolutions of the Convention are complied with; and

(c) the provisions of the Act and rules made thereunder have been duly complied with.

(6) Every certificate of introduction from sea of specimen of species shall be valid for a period of six months from the date of its issue.

8. Reporting of details of Scheduled Specimen and transaction thereof.- Every person engaging in trade of specimen of species listed in Schedule IV shall report the details of the scheduled specimen and the trade to the Management Authority in Form V within thirty days of such trade.

9. **Special provision relating to certain species.-** (1) The validity of permit in case of export or re-export of specimens of timber species with annotation 'Logs, sawn wood and veneer sheets' may be extended for a further period of six months if the shipment has arrived in the port of final destination before the date of expiration of the permit and is being held in Customs bond.
- (2) Any person seeking extension for validity of a permit under sub-rule (1) shall apply to the management Authority in Form VI accompanied with a fees of five hundred rupees.
- (3) The Management Authority, on receipt of application under sub-rule (2), may extend its validity for a further period of six months in Form VII, if no previous extension has been granted.
10. **Cancellation of permit/certificate.-** (1) The Management Authority, may cancel a permit or certificate if it has reason to believe that –
- (a) the specimen concerned may be used for commercial purposes or the proposed recipient of a living specimen is not suitably equipped to house and care for it in case of any specimen of species listed in Appendix I of Schedule IV;
- (b) handling of a living specimen of a species listed in Appendix II of Schedule IV may not be so as to minimise the risk of injury, damage to health or cruel treatment;
- (c) a false information is furnished;
- (d) the resolutions of the Convention are not complied with; or
- (e) the provisions of the Act and rules made thereunder have not been complied with:

Provided that no permit or certificate shall be cancelled without giving the applicant an opportunity of being heard.

Form I

[See Rule 3(1)]

Application for trade in Specimen of Species listed in Schedule IV					
General information (mandatory for all cases):					
1.	(a) Name of the applicant				
	(b) Aadhar number of applicant				
	(c) Import Export Code (IEC)				
2.	Permanent Address of the applicant				
3.	Present Address of the applicant				
4.	Purpose of the application (Please tick mark whichever is applicable)	Export / Import / Re-export / Introduction from the Sea			
5.	Source of specimen				
6.	Purpose of Export / Import / Re-export / Introduction from the Sea				
7.	Details of fee paid				
	(a) Transaction number / D.D. no				
	(b) Amount paid				
8.	Details of Specimen				
Common Name	Scientific name	Number /quantity of specimens	Age/sapling /tree	Sex	ITC HS Code

For Export/Re-export cases:					
9.	Name of the Consignee				
10.	Address of the Consignee				
11.	Licence No. issued under section 49N of the Act in case of live animals (copy of the Licence to be enclosed), if applicable				
12.	Legal Procurement Certificate Number, Date, Place, and Name of issuing Authority				
13.	Whether Licence has been issued by the Chief Wild Life Warden under Chapter III B of the Act in case of specified plants	YES/NO			
14.	If imported, provide date of import, port of import and bill of entry no. and date and in case of restricted CITES listed items, import license number and date of issue by DGFT, permission letter of Ministry of Environment, Forest and Climate Change allowing the import				
15.	CITES MA India import permit no. and date (in case of re-export of Appendix I Scheduled Specimen)				
16.	Advance CITES Import Permit Number and date of issue by the Management Authority of importing country in case of export of Appendix I Scheduled Specimen				
17.	CITES Import Permit Number and date of issue by the Management Authority of importing country in case of Appendix I species				
18.	Port of Exit				
19.	Any other detail				
For Import/introduction from the Sea cases:					
20.	Name of the Consignor				
21.	Address of the Consignor				
22.	Country in which the specimen was procured from wild /bred in captivity/artificially propagated				
23.	Port of Entry				
24.	Any other detail				

Undertaking

I[name of the applicant] Son of or Daughter of or Wife of[Father's name or Husband Name] hereby declare that the all the particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and any detail furnished above, if found to be false shall make my application liable for rejection.

I shall abide by all the conditions mentioned in the Regulation in International Trade in Specimens Rules, 2023 and any other condition that may be imposed by the Chief Wild Life Warden.

Date:
Place:

Signature

Name of the Applicant:
Present Address of the Applicant:

List of enclosures:

1. Copy of the Aadhar Card of the Applicant or Registration Certificate/Certificate of incorporation in case of a Society/Company/Board etc.
2. Address proof of the Applicant
3. Copy of the Advance Import permit issued by the concerned CITES Management Authority in case of export of Appendix I Species
4. Copy of the Import permit issued by CITES Management Authority in case of Appendix I Species/Import licence issued by DGFT in case of re-export.
5. Copy of Legal Procurement Certificate issued by concerned Forest Department in case of export.
6. Copy of NOC of Chief Wild Life Warden

FORM II**[See Rule 4 (1) (b) and rule 6 (1) (a)]**

LEGAL PROCUREMENT CERTIFICATE
(Fauna/Flora/Derivatives)
(NON-TRANSFERABLE)

Bar Code/Security Stamp**CERTIFICATE NO.****DATED****VALID UP TO**

1. This certificate is hereby issued in favour of Mr./Ms. _____ Son of/Daughter of/Wife of _____ resident of _____ (Postal Address) holder of Licence no. (if applicable) _____ for export of specimen of species as detailed in the table below.
2. I hereby certify that the specimen of species listed in Schedule IV described in the table below have been verified by this office and the same are recommended for export/re-export.
3. Details of specimen of species:

S.No.	Description of the item	Scientific name of the species	Common/Local Name	Quantity (No/weight)	Remarks if any
1	2	3	4	5	6

Signature and designation of the official

(not below the rank of the Deputy Conservator of Forests)

Designation

Form-III

[See Rule 4 (3), Rule 5(3), Rule 6(2) and Rule 7(5)]

CITES PERMIT/CERTIFICATE		1. PERMIT/CERTIFICATE No. <input type="checkbox"/> EXPORT <input type="checkbox"/> RE-EXPORT <input type="checkbox"/> IMPORT <input type="checkbox"/> INTRODUCTION FROM THE SEA <input type="checkbox"/> CERTIFICATE OF ORIGIN				Original	
						2. Valid until	
3. Importer (name and address)		4. Exporter/re-exporter (name, address and country)					
3a. Country of import		Signature of the applicant					
5. Special conditions If for live animals, this permit or certificate is valid only if the transport conditions comply with the IATA Live Animals Regulations; if for live plants, with the IATA Perishable Cargo Regulations; or, in the case of non-air transport, with the CITES Guidelines for the Non-Air Transport of Live Wild Animals and Plants		6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority					
5a. Purpose of the transaction		5b. Security stamp no.					
7./8. Scientific name (genus and species) and common name of animal or plant		9. Description of specimens, including identifying marks or numbers (age/sex if live)		10. Appendix no. and source	11. Quantity (including unit)		11a. Total exported/Quota
A	7./8.	9		10	11		11a
	12. Country of origin	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***
B	7./8.	9		10	11		11a
	12. Country of origin	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***
C	7./8.	9		10	11		11a
	12. Country of origin	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***
D	7./8.	9		10	11		11a

12. Country of origin	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***
* Country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated (only in case of re-export)						
** Only for specimens of Appendix-I species bred in captivity or artificially propagated for commercial purposes						
*** For pre-Convention specimens						
13. This permit/certificate is issued by:						
Place		Date	Security stamp/Bar Code	Signature and official seal		
14. Export endorsement:			15. Bill of Lading/Air waybill number:			
Block	Quantity					
A						
B						
C						
D		Port of export	Date	Signature, Official stamp and Designation		

CITES PERMIT/CERTIFICATE No.

Instructions and explanations

(These correspond to block numbers on the form)

1. Tick the square which corresponds to the type of document issued (export permit, re-export certificate, import permit, certificate of introduction from the sea or certificate of origin). The original number is a unique number allocated to each document by the Management Authority.
2. For export permits and re-export certificates, the date of expiry of the document may not be more than six months after the date of issuance (one year for import permits).
3. **Complete** name and address of the importer.
- 3a. The name of the country must be written in full.
4. **Complete** name and address of the exporter/re-exporter. The name of the country must be stated. The absence of the signature of the applicant renders the permit or certificate invalid.
5. Special conditions may refer to national legislation or special conditions placed on the shipment by the Management Authority. This block can also be used to justify the omission of certain information.
- 5a. The following codes should be used: **T** for commercial, **Z** for zoo, **G** for botanical garden, **Q** for circus or traveling exhibition, **S** for scientific, **H** for hunting trophy, **P** for personal, **M** for medical, **E** for education, **N** for reintroduction or introduction into the wild, **B** for breeding in captivity or artificial propagation and **L** for law enforcement / judicial / forensic.
- 5b. Indicate the number of the security stamp affixed in block 13.
6. The name, address and country of the issuing Management Authority should already be printed on the form.
- 7-8. Indicate the scientific name (genus and species, where appropriate subspecies) of the animal or plant as it appears in the Convention Appendices or the reference lists approved by the Conference of the Parties, and the common name of the animal or plant as known in the country issuing the permit.
9. Describe, as precisely as possible, the specimens entering trade (live animals, skins, flanks, wallets, shoes, etc.). If a specimen is marked (tags, identifying marks, rings, etc.), whether or not this is required by a Resolution of

the Conference of the Parties (specimens originating in a ranching operation, specimens subject to quotas approved by the Conference of the Parties, specimens of Appendix-I species bred in captivity for commercial purposes, etc.), indicate the number and type of mark. The sex and age of the live animals should be recorded, if possible.

10. Enter the number of the Appendix of the Convention (I, II or III) in which the species is listed.

Use the following codes to indicate the source:

W Specimens taken from the wild

X Specimens taken in “the marine environment not under the jurisdiction of any State”.

R Ranchered specimens: specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to adulthood.

D Appendix-I animals bred in captivity for commercial purposes in operations included in the Secretariat's Register, in accordance with Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), and Appendix-I plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4, of the Convention

A Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP18), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)

C Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5

F Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfill the definition of ‘bred in captivity’ in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof

Y Specimens of plants that fulfill the definition for ‘assisted production’ in Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP18) as well as parts and derivatives thereof

U Source unknown (**must be justified**)

I Confiscated or seized specimens

O Pre-Convention specimens (may be used with other source codes).

11. The quantity and units indicated should conform to the most recent version of the *Guidelines for the preparation and submission of CITES annual reports* issued by the Convention.

11a. Indicate the total number of specimens exported in the current year (including those covered by the present permit) and the current annual quota for the species concerned (for example 500/1000). This should be done for the national quotas as well as for those determined by the Conference of the Parties.

12. The country of origin is the country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated, except in the case of plant specimens that cease to qualify for an exemption from the provisions of CITES. In such instances, the country of origin is deemed to be the country in which the specimens ceased to qualify for the exemption. Indicate the number of the permit or certificate of the exporting country and the date of issuance. If all or part of the information is not known, this should be justified in block 5. This block must only be completed in case of re-exports;

12a. The country of last re-export is the country from which the specimens were re-exported before entering the country in which the present document is issued. Enter the number of the re-export certificate of the country of last re-export and its date of issuance. If all or part of the information is not known, this should be justified in block 5. This block must only be completed in case of re-export of specimens previously re-exported.

12b. The “No. of the operation” is the number of the registered captive-breeding or artificial propagation operation. The “date of acquisition” is defined in Resolution Conf. 13.6 (Rev. CoP16) and is required only for pre-Convention specimens.

13. To be completed by the official who issues the permit. The name of the official must be written in full. The security stamp/bar code must be affixed in this block and must be cancelled by the signature of the issuing official and a stamp or seal. The seal, signature and security-stamp number/bar code should be clearly legible.

14. To be completed by the official who inspects the shipment at the time of export or re-export. Enter the quantities of specimens actually exported or re-exported. Strike out the unused blocks.

15. Enter the number of the bill of lading or air way-bill if the method of transport used requires the use of such a document.

AFTER USE THIS DOCUMENT MUST BE RETURNED TO A MANAGEMENT AUTHORITY OF THE IMPORTING COUNTRY.

Form IV

[See Rule 5(2) and Rule 7(2)]

Undertaking

To
The CITES Management Authority,
India.

I..... [name of the applicant] S/o or D/o or W/o..... [Name of father or name of husband] hereby give an undertaking that the specimen of a species included in Appendix I of Schedule IV which I intend to import shall not be used for primarily commercial purposes.

I shall abide by all the conditions mentioned in the Regulation in International Trade of Specimens Rules, 2023 and any other condition that may be imposed by the CITES Management Authority, India.

Date:

Signature

Place:

Name of the Applicant:
Present Address of the Applicant:

Form V

[See Rule 8]

Reporting of details of Scheduled Specimen and transaction						
1.	Name of the applicant					
2.	Address of the applicant					
3.	Details of the specimen					
	Common Name	Scientific name	CITES import number	Number of specimens	of Juvenile//Adult/sapling/tree	Male/Female
4.	Nature of trade		Export / Import / Re-export / Introduction from the Sea			
5.	Description of specimen					
	Common Name	Scientific name	Whether live or not	Number of specimens	sex	Age

6.	Quantity (Number of specimen or net weight in kilograms) traded	
6.	CITES permit/certificate Number and date	
7.	DGFT Import/Export Licence Number and date	
8.	Port of Exit/Entry	
9.	Date and place of application under Section 49M and 49 N (if applicable)	
10.	Any other detail	

Date:
Place:

Signature

Name of the Applicant:
Present Address of the Applicant:

FORM VI

[See Rule 9(2)]

Application for extension of validity of permit/certificate					
1.	(a) Name of the applicant				
	(b) Aadhar number of applicant				
	(c) Import Export Code (IEC)				
2.	Permanent Address of the applicant				
3.	Present Address of the applicant				
4.	CITES Permit Number and Date of issue				
5.	Date up to which extension is sought				
6.	Details of Specimen for which extension of permit/certificate is sought				
Common Name	Scientific name	Number /quantity of specimens	Age/sapling /tree	Sex	ITC HS Code

Undertaking

I[name of the applicant] Son of or Daughter of or Wife of[Father's name or Husband Name] hereby declare that the specimen of species mentioned at S.No. 6 have not been exported/imported/re-exported/introduced from the Sea through permit/certificate no.....dated.....

I shall abide by all conditions mentioned in the Regulation in International Trade in Specimens Rules, 2023 and any other condition that may be imposed by the Chief Wild Life Warden.

Date:

Signature

Place:

Name of the Applicant:

Present Address of the Applicant:

List of enclosure: Copy of the permit/certificate

FORM VII

[See Rule 9(3)]

Extension of validity of permit/certificate number:					
1.	(a) Name of the applicant				
	(b) Aadhar number of applicant				
	(c) Import Export Code (IEC)				
2.	Permanent Address of the applicant				
3.	Present Address of the applicant				
4.	CITES Permit Number and Date of issue				
5.	Date up to which extension of validity is granted				
6.	Details of Specimen for which extension of validity of permit/certificate is granted				
Common Name	Scientific name	Number /quantity of specimens	Age/sapling /tree	Sex	ITC HS Code

1. This extension of validity of granted through this permit/certificate no.....dated..... shall be applicable only on production of original permit/certificate together.
2. Any misinformation/violation of the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972 shall render the extension granted vide this permit/certificate invalid.
3. No further extension of validity of permit/certificate shall be granted.

This extension of validity of permit/certificate no.

is issued by:

Place

Date

Security stamp, signature and official seal

[F. No.. WL-1/4/2023-WL)]

BIVASH RANJAN, Addl. Director General of Forests (Wildlife) and Director